निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 263) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रील 2016

सं0 11/आ0नी0–I–03/2016 सा0प्र0—4800
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सभी विभागाध्यक्ष।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना, दिनांक 1 अप्रील 2016

विषय :– राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपुर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या–14425 दिनांक 23.08.1971 द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया गया।

2. 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा आरक्षित वर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरीयता का लाभ भी उपलब्ध कराया गया। इस संशोधन के बाद विभागीय संकल्प संख्या–213 दिनांक 07.06. 2002 निर्गत करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण के साथ–साथ परिणामी वरीयता का लाभ निम्नवत् प्रदान किया गया :–

''अपेक्षाकृत बाद में प्रोन्नत सामान्य, अन्य अनारक्षित के सरकारी सेवक आरक्षण नियम के अन्तर्गत पहले प्रोन्नति पाये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों से कनीय होंगे।''

3. विभागीय परिपत्र संख्या–745 दिनांक 05.02.2008 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि वरीयता में आने पर प्रोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी। इस परिपत्र को सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–5649/2008, अरूण प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से दिनांक 08.07.2011 को पारित न्याय निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविलि)–61/2002, एम0 नागराज एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखी जाय।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–19114/2014 सुशील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2014 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय आदेश, ज्ञापांक–11218 दिनांक 12.08.2014 द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।

6. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–19114/2012, सुशील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.05.2015 को पारित न्याय निर्णय में संकल्प संख्या–11635 दिनांक 21.08.2012 को रद्द कर दिया गया है।

7. इस न्याय निर्णय के विरूद्ध दायर एल0पी0ए0 संख्या–1066/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 30.07.2015 को पारित न्याय निर्णय द्वारा एल0पी0ए0 को Dismiss कर दिया गया है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपर्युक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015 दायर किया गया है, जो सुनवाई हेतु विचाराधीन है।

9. साथ ही सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–16366/2015, बीरेन्द्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक–11218 दिनांक 12.08.2014 को Quash कर दिया गया है। इस याचिका में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नांकित है :–

Since things have come to a stand still since August, 2014 in matters of grant of promotion and further since the Court does not find any judicial reason to allow the General Administration Department to continue with the order dated 12/08/2014 to occupy the field, the Court is left with no option but to quash the order No. 11218 dated 12/08/2014.

It is clarified that any promotion granted in view of the above to any of the government servants will not be a substantive promotion and will not create a right in their favour and it will surely be subject to the law to be declared by the Apex Court in the SLP of the State.

10. एल0पी0ए0 संख्या–1066/2015, बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में दिनांक 30.07.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के खण्डपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–16366/2015, बीरेन्द्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के अनुपालन हेतु विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिए गये हैं :–

11. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–16366/2015, बीरेन्द्र कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में प्रोन्नति संबंधी डी0पी0सी0 की बैठक को स्थगित रखने निमित विभागीय आदेश ज्ञापांक–11218 दिनांक 12.08.2014 को वापस लेते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया को निम्नरूपेण प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) ***अगले आदेश तक उच्चतर पदों पर संवर्गीय प्रोन्नति पद सोपान के मूल कोटि की वरीयता के आधार पर दी जायेगी।***

(ii) ***उच्चतर पदों पर संवर्गीय प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर दी जायेगी। चूँकि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आरक्षण एवं परिणामी वरीयता का लाभ तत्काल अगले आदेश तक देय नहीं होगा, अतः इस निमित रोस्टर क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी।***

(iii) ***चूँकि एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, अतः आरक्षण एवं परिणामी वरीयता के***

आधार पर पूर्व में प्रोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की वर्त्तमान में धारित पद के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जायेगी तथा उन्हें तत्काल पदावनत नहीं किया जायेगा।

(iv) *इस आदेश के तहत दी जाने वाली संवर्गीय प्रोन्नतियाँ औपबंधिक होंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी।*

(v) *एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हों) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।*

(vi) *यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।*

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 263-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in